संख्या- 99/2024/1545/छप्पन-2024-02/2013टी0सी0-01

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांकः 27 नवम्बर, 2024

विषयः जनपद चित्रकूट में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा देवांगना हवाई पट्टी पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु फॉरेस्ट रेंज-कर्वी, जिला चित्रकूट में प्रभावित 4.3514 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 430 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UP/Others/ 418858/ 2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-137/आर0सी0एस0-2023-सी-1/2018 दिनांक 14 अगस्त, 2024 एवं पत्र संख्या-174/आर0सी0एस0-2023-सी-1/2018 दिनांक 20 सितम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद चित्रकूट स्थित देवांगना हवाई पट्टी पर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु फारेस्ट रेंज-कर्वी, जिला चित्रकूट में प्रभावित 4.3514 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 430 पौधों के पातन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति/स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा प्रेषित आगणन लागत रू0 1,46,71,142/- (रूपए एक करोड़ छियालीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ बयालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, चित्रकूट के निवर्तन हेतु प्रदान करने तथा स्वीकृति उपरान्त बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद चित्रकूट स्थित देवांगना हवाई पट्टी पर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु फारेस्ट रेंज-कर्वी, जिला चित्रकूट में प्रभावित 4.3514 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 430 पौधों के पातन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति/स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा प्रेषित आगणन लागत रू0 1,46,71,142/- (रूपए एक करोड़ छियालीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ बयालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ सम्पूर्ण धनराशि रू0 1,46,71,142/- (रूपए एक करोड़ छियालीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ बयालीस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिलाधिकारी, चित्रकूट के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60 भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-150/दस-2024-2025, दिनांक 14 नवम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 99/2024/1545(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/चित्रकूट।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
7. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।